अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति –

1.	पात्रता	1. अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे छात्र-छात्रा जिनके अभिभावकों की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय एक लाख रूपये तक हो । 2. विद्यार्थी राज्यकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम के अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो। 3. राजस्थान का मूल निवासी हो।
2.	आवेदन कहां किया जायें	कॉलेज के माध्यम से जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को निर्धारित प्रपत्र मे आवेदन किया जा सकता है।
3.	देय लाभ	नियमानुसार फीस का पुनर्भरण एवं अनुरक्षण भत्ता देय है।

विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति –

1.	पात्रता	1. विशेष पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत बंजारा, गाड़िया लौहार, गुर्जर, राईका जाति के छात्र-छात्राओं जिनके अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय दो लाख रूपये तक हो । 2. विद्यार्थी राज्यकीय / मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम के अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो। 3. राजस्थान का मूल निवासी हो।
2.	आवेदन कहां किया जायें	कॉलेज के माध्यम से संबंधित जिले के जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को निर्धारित प्रपत्र मे आवेदन किया जा सकता है।
3.	देय लाभ	नियमानुसार फीस का पुनर्भरण एवं अनुरक्षण भत्ता देय है।

विशेष योग्यजन छात्रवृति योजना–

1.	पात्रता	1. विद्यार्थी के माता-पिता/संरक्षक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख रूपये तक हो । 2. विद्यार्थी राज्यकीय/ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम के अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो। 3. राजस्थान का मूल निवासी हो। 4. विद्यार्थी पूर्व में अन्य किसी प्रकार की छात्रवृति/भत्ता राज्य सरकार अथवा स्वयंसेवी संस्था/ट्रस्ट से प्राप्त नहीं कर रहा हो। विद्यार्थी गत वर्ष की परीक्षा कक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया गया हो। आवेदक के पास अधिकृत चिकित्सक/चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत अथवा अधिक का नि:शक्तता प्रमाण-पत्र हो।
2.	आवेदन कहां किया जायें	शिक्षण संस्था के माध्यम से संबंधित जिले के जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को निर्धारित प्रपत्र मे आवेदन किया जा सकता है।
3.	देय लाभ	नियमानुसार फीस का पुनर्भरण एवं अनुरक्षण भत्ता देय है।